

डिक्री नमूकदमें इस्तेदाई
(आदेश 20 नियम 6,7 जाया दीवानी)
अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला नागौर
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-खियाला

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम
न्याय आणक 1919-2018

गुणनो 31/2018

वादीगण-

- परमेश्वरलाल पुत्र चुनाराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल जिला नागौर।
बनाम

प्रतिवादीगण-

- चुनाराम पुत्र उदाराम
- शीता पुत्री चुनाराम
- पतारी पुत्री चुनाराम जाति जाट निवासी डिडिया कलां तहसील जायल
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद नामत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कारतकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-17.05.2018

यह मुकदमा आज वारते इन्फिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुगम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

- कि मौजा डिडिया कलां के खेत ख नं 332 रकबा 14.14 बीघा , ख नं 350 रकबा 06.18 बीघा , ख नं 504 रकबा 10.12 बीघा , ख नं 507 रकबा 08 बीघा , ख नं 511 रकबा 17.09 बीघा , ख नं 515 रकबा 07 बीघा , ख नं 526 रकबा 02.11 बीघा , ख नं 527 रकबा 04.14 बीघा , ख नं 531 रकबा 05.14 बीघा , ख नं 545 रकबा 05.06 बीघा, ख नं 547 रकबा 9.19 बीघा , ख नं 556 रकबा 13.18 बीघा, ख नं 587 रकबा 14.12 बीघा, ख नं 590 रकबा 09.08 बीघा , ख नं 594 रकबा 07.16 बीघा व ख नं 602 रकबा 26.12 बीघा को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की घोषित की जाती है।
- कि इसमें से वादी परमेश्वर लाल के हक बंट में मौजा डिडिया कलां के खेत ख नं 602 रकबा 26.12 बीघा , ख नं 590 रकबा 09.08 बीघा व ख नं 594 रकबा 07.16 बीघा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
- शेष खेताय यथावत् रखे जाते है।

तहसीलदार जायल को डिक्री पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहसीर जारी हो।

तीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख,तारीख वगुल योगे तक x को अदा करे। बसीबा मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17.05.2018 को जारी किया गया।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

मुदत	रुपये	दिने	मुदायला	दिने
स्टाम्प अजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अजी	
स्टाम्प वजह साबूत			मिहनताना वकील	
मिहनताना वकील			खर्चा मुदायल	
खर्चा मुदायल			फीस कमीशन	
फीस कमीशन			बाबत इजराय हुक्मीजान	
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुलाफरिफ	
मुलाफरिफ				

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को घाटे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही करना प्रोहिये।

(सुरेन्द्र प्रसाद)

उपखण्ड अधिकारी जायल
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर